राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/2014–15 जयपुर, दिनांक : 01 SEP 2014

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ईएफएमएस के माध्यम से भुगतान करने के संबंध में।**

संदर्भ :– **विभागीय पत्र कमाक एफ 20(41)ग्रावि/नरेगा/2010 दिनांक 05.01.2011 एवं 26.09.2013 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सभी प्रकार के भुगतान ई–एफएमएस के माध्यम से किये जा रहे है। ब्लॉक स्तर पर भुगतान Accountant तथा BDO एवं जिला स्तर पर भुगतान लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त संदर्भित पत्रों (प्रति संलग्न) द्वारा यह भी निर्देश दिए गए थे कि जिला एवं ब्लॉक स्तर पर दोनों signatories के विकल्प अधिकारी/कार्मिक के DSC भी बनवाये जावे, ताकि अनापेक्षित स्थिति यथा signatories के स्थानान्तरण/DSC खो जाने/ DSC की समय सीमा समाप्त हो जाने इत्यादि में विकल्प अधिकारी/कार्मिक के DSC द्वारा भुगतान किया जा सके। विभाग स्तर पर समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि कुछ जिला/ब्लॉक स्तर पर विकल्प के रूप में नामित अधिकारी/कर्मचारी के DSC नहीं बनाये गये है अथवा वर्तमान में विकल्प के DSC नहीं है, जो कि राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है एवं इसके कारण भुगतान में भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पडता है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक जिला/ब्लॉक मे विकल्प के रूप में नामित अधिकारी/कर्मचारी के भी DSC भी आवश्यक रूप से बनवाये जावें।

प्रत्येक DSC की वेलिडिटी की एक निश्चित समय सीमा होती है जो कि प्रायः दो वर्ष की होती है। DSC की समय सीमा समाप्ति की सूचना DSC को कम्प्यूटर के USB port में लगाने से प्राप्त की जा सकती है। एक साथ बनाए गए DSC की समय सीमा भी एक साथ ही समाप्त होती है। नया DSC बनवाने अथवा पुराने DSC को renew करवाने में लगभग 10 से 15 कार्यदिवस लगते है। अतः भुगतान की प्रकिया को सुचारू रूप से जारी रखने हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि विकल्प के रूप में बनाए गए DSC को समय से पूर्व ही renew करा लिया जावे ताकि नरेगा सॉफ्ट पर enrolled DSC को renew हेतु भेजे जाते समय विकल्प के रूप में बनवाए गए DSC को नरेगा सॉफ्ट पर enrolled कर भुगतान किया जा

सके। इस स्थिति से बचने के लिए यह आवश्यक है कि विकल्प अधिकारी/कार्मिक के DSC renew कराये जाने हेतु आवेदन समय सीमा समाप्ति दिनांक से एक माह पहले नरेगा मुख्यालय पर आवश्यक रूप से भिजवाया जावे।

उपरोक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही समय पर करवाया जाना सुनिश्चित करे, जिससे कि भुगतान में अनावश्यक विलम्ब ना हो।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

12/9/14

(राजीव सिंह ठाकुर)
आयुक्त, ईजीएस एवं शासन सचिव ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम) ईजीएस, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, जयपुर/ बाड़मेर।
3 विकास अधिकारी पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

12/9/14

परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 20(41)ग्रावि/नरेगा/2010 जयपुर, दिनांक : 5 JAN 2012

~~जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,~~
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान (जयपुर, बारां व श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत Real-time Transaction-based eGovernance Solution के द्वारा श्रमिकों को एवं अन्य भुगतान करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भारत सरकार के निर्देश है कि इस योजना में श्रमिकों के भुगतान के लिए वेजलिस्ट की हार्डकॉपी के स्थान पर इलैक्ट्रानिक माध्यम से ही वेजलिस्ट (Wagelist) एवं अन्य व्यवहारों का ब्लॉक/जिला कार्यालयों से बैंकों को हस्तान्तरण हो, जिसके लिए इलैक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेन्ट सिस्टम (ई.एफ.एम.एस.) एवं **Real-time Transaction-based eGovernance Solution** प्रारम्भ किया जा रहा है।

पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में उक्त कार्य जयपुर जिले के सांगानेर ब्लॉक, बारां जिले के बारां ब्लॉक एवं श्रीगंगानगर जिले के गंगानगर ब्लॉक में प्रारम्भ कर दिया गया है। इसी क्रम में इस प्रोजेक्ट को आपके जिले की एक पंचायत समिति को चयनित कर वहां प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए निम्न कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करावें:–

1. पंचायत समिति का चयन करते समय यह सुनिश्चित करावें कि चयनित पंचायत समिति में श्रमिकों के खाते सी.बी.एस. सिस्टम से जुडी हुई बैंक में अधिकाधिक होने चाहिए।
2. भविष्य में चयनित पंचायत समिति के द्वारा लाभार्थियों के खातों में राशि का हस्तान्तरण इलैक्ट्रानिक माध्यम से होगा। अतः चयनित ब्लॉक से संबंधित समस्त लाभार्थियों (नरेगा श्रमिकों एवं आपूर्तिकर्ताओं) के बैंक खाते के अनुसार नाम एवं उनका बैंक खाता नम्बर, बैंक का नाम, ब्रांच एवं आई.एफ.एस.सी. कोड का सत्यापन करा लेवें, ताकि राशि का गलत हस्तान्तरण नहीं हो।
3. **डिजिटल हस्ताक्षर के लिए सक्षम विकास अधिकारी एवं लेखाकार के तथा विकल्प के रूप में दो अतिरिक्त नाम (एक ए.ई.एन. एवं एक अतिरिक्त लेखाकार) के डिजिटल हस्ताक्षर** एन.आई.सी. से प्राप्त करने की कार्यवाही की जावे। इसके लिए आवेदन पत्र एनआईसी के जिला कार्यालय से प्राप्त कर पूर्णरूपेण भरवाकर राज्य स्तर पर श्रीमति नीता सक्सेना, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, कमरा नं. 114, एन.आई.सी., योजना भवन, जयपुर को भिजवाऐं।
4. इस एक चयनित ब्लॉक के लिए आवेदन पत्र के साथ फीस के ड्रॉफ्ट की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इन डिजिटल हस्ताक्षरों के लिए बजट का प्रावधान किया हुआ है। इसके लिए आवश्यक फीस का भुगतान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।

कृपया उपरोक्त कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(एन.के.गुप्ता)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस
0141–5116614

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय नरेगा एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान (जयपुर, बारां व श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

E\Letter

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक. एफ 21(44)ग्रा.वि/नरेगा/2010 जयपुर, दिनाक 26/09/2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिला स्तर से प्रशासनिक व्यय का भुगतान ईएफएमएस के माध्यम से कराने के संबंध में डिजिटल हस्ताक्षर के कम में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिला स्तर पर प्रशासनिक व्ययों का भुगतान ईएफएमएस के माध्यम से किया जायेगा। जिला स्तर से प्रशासनिक व्ययों का भुगतान ईएफएमएस के माध्यम से करने हेतु **डिजिटल हस्ताक्षर के लिए मूल रूप से अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी (एमजीनरेगा) तथा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में दो अतिरिक्त व्यक्ति, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (द्वितीय)/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा परियोजना अधिकारी (लेखा) को अधिकृत किया जाता है।**

कृपया डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने की कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र पूर्ण करवाकर इस विभाग को सूचित कराने का श्रम करावें।

उक्त निर्देश आयुक्त एवं शासन सचिव ईजीएस से अनुमोदित है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

भवदीय,

(देवराज)
वित्तीय सलाहकार, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, महात्मा गांधी नरेगा, जिला परिषद जयपुर/जोधपुर।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (द्वितीय)/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान।
4. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
5. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी (एमजीनरेगा) जिला परिषद समस्त राजस्थान।

वित्तीय सलाहकार, ईजीएस